



राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222 5153223 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(6)शिक्षा/ग्रुप-3/2022

जयपुर, दिनांक:- 24.03.2022


:- आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-234.0.0 की अनुपालना में निम्नांकित महाविद्यालयों को स्नातक(यू.जी.) से स्नातकोत्तर (पी.जी.) स्तर में क्रमोन्नत कर, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार नवीन संकाय/विषय प्रारंभ किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	बजट मद	स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/विषय	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिरौही	मांग संख्या-24 2202-03-103-03-00	रसायन शास्त्र- (विज्ञान संकाय)	सहायक आचार्य प्रयोगशाला सहायक	02 01
2.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर	मांग संख्या-24 2202-03-103-03-00	इतिहास (कला संकाय)	सहायक आचार्य	02
3.	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा-टोंक	मांग संख्या-24 2202-03-103-02-00	हिन्दी साहित्य (कला संकाय)	सहायक आचार्य	02
4.	राजकीय महाविद्यालय, श्रीदुंगरगढ़-बीकानेर	मांग संख्या-24 2202-03-103-02-00	राजनीति विज्ञान (कला संकाय)	सहायक आचार्य	02
कुल योग					09


- (1) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने हेतु सहायक आचार्य के 08 पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावे। नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।
- (2) सोसाइटी के गठन होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।
- (3) अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102201537 दिनांक 16.03.2022 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (जीबी), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव


आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 30/03/2022

क्रमांक : एफ 20 (101/01)/आयो/आकाशि/2022-23/ 112

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव, (जी बी)माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- 10 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
- 11 कुल सचिव, संबधित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
- 12 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 13 संयुक्त निदेशक (अकादमी/ प्रशासन/ एच आर डी)कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 14 प्राचार्य, संबधित राजकीय महाविद्यालय।
- 15 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 16 रक्षित पत्रावली।


(डॉ दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर